"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015—कार्तिक 22, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पी. वेंकट राव आत्मज पी. रामाराव, उम्र 51 वर्ष, निवासी- क्वा. नंबर-103/4, रेल्वे कॉलोनी, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र का वर्तमान नाम पी. मुकुल उम्र-16 वर्ष है. मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज में पी. मुकुल पिता पी. वेंकट राव माता पद्मावती दर्ज है तथा इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है. मैं अपने पुत्र के माता के नाम को परिवर्तित कर नया नाम पी. मुकुल पिता पी. वेंकट राव माता पी. आरती रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को पी. मुकुल पिता पी. वेंकट राव माता पी. आरती के नाम से जाना, पहचाना पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पी. मुकुल पिता पी. वेंकट राव माता पद्मावती निवासी-क्वा. नं. 103/4, रेल्वे कॉलोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	पी. मुकुल पिता पी. वेंकट राव माता पी. आरती निवासी-क्वा. नं. 103/4, रेल्वे कॉलोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सहदेव राम (SAHDEO RAM) पिता श्री जोइधा राम (JOIEDHA RAM) उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 9/ई, सड़क नं. एम. पी. आर, सेक्टर 11, जोन-2 खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक खाता में मेरा नाम सहदेव राम पिता जोइधाराम दर्ज है तथा मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम केवल सहदेव (Sahdeo) पिता श्री जोइधा (Joiedha) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सहदेव राम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सहदेव राम पिता श्री जोइधाराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सहदेव (SAHDEO)
पिता जोइधा (JOIEDHA)
निवासी- सेक्टर 11, जोन-2, सड़क नं. MRP
ब्लाक 9 E, खुर्सीपार भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सहदेव राम (SAHDEO RAM)
पिता जोइधा राम (JOIEDHA RAM)
निवासी- सेक्टर 11, जोन-2, सड़क नं. MRP
ब्लाक 9 E, खुर्सीपार भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुष्पा उरांव पति स्व. स्तेफन टोप्पो, आयु 39 वर्ष, निवासी जेल लाईन रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि श्री स्तेफन टोप्पो से विवाह होने के पश्चात् मुझे श्रीमती पुष्पा टोप्पो के नाम से जानने पहचानने लगी तथा शासकीय, अर्ध-शासकीय व बैंक के अभिलेखों में यही नाम दर्ज है. मैं पति के निधन होने के पश्चात् अपने उपनाम "टोप्पो" को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पुष्पा उरांव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती पुष्पा उरांव पति स्व. स्तेफन टोप्पो के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती पुष्पा टोप्पो
पति - स्व. श्री स्तेफन टोप्पो
निवासी- जेल लाईन, केन्द्रीय जेल रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

पुष्पा उरांव
पति - स्व. श्री स्तेफन टोप्पो
निवासी- जेल लाईन, केन्द्रीय जेल रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजा राम आत्मज श्री मस्त राम, जाति धोबी, उम्र 42 वर्ष, निवासी-पंचशील नगर, वार्ड नं. 17, पो. बी. एम. वाई चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुसार मेरा जन्म तिथि दिनांक 13-12-1973 है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजा राम आत्मज श्री मस्त राम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम/उपनाम ''निर्मलकर'' को जोड़कर नया नाम राजा राम निर्मलकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजा राम निर्मलकर आत्मज श्री मस्त राम निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजा राम आत्मज-श्री मस्त राम निवासी-पंचशील नगर, वार्ड नं. 17, पो. बी. एम. वाई चरोदा तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)	राजा राम निर्मलकर आत्मज-श्री मस्त राम निर्मलकर निवासी-पंचशील नगर, वार्ड नं. 17, पो. बी. एम. वाई चरोदा तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. सावित्री मंडावी (SAVITRI MANDAVI) पिता श्री दयाराम मंडावी, निवासी-पनारा पारा राजामढ़गली, वार्ड क्र. 1, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) पिन 494001 की हूं. पूर्व में मुझे सावित्री (SAVITRI) के नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मैं अपने नाम के साथ उपनाम ''मंडावी '' को जोड़कर नया नाम सावित्री मंडावी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. सावित्री मंडावी पिता श्री दयाराम मंडावी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. सावित्री (SAVITRI) पिता श्री दयाराम मंडावी निवासी-पनारा पारा, राजामढ़गली वार्ड क्र. 1, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) पिन 494001	कु. सावित्री मंडावी (SAVITRI MANDAVI) पिता श्री दयाराम मंडावी निवासी-पनारा पारा, राजामढ़गली वार्ड क्र. 1, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) पिन 494001

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हिम्मत लाल देवांगन पिता श्री हट्ठू राम देवांगन, उम्र 57 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी ग्राम व पोस्ट उतई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शालेय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों मे मेरा नाम हिम्मत लाल अंकित है. मैं अपने नाम को साथ उपनाम ''देवांगन'' को जोड़कर नया नाम हिम्मत लाल देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हिम्मत लाल देवांगन पिता श्री हट्ठू राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
हिम्मत लाल पिता श्री हट्ठू राम देवांगन निवासी-ग्राम व पोस्ट उतई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	हिम्मत लाल देवांगन पिता श्री हट्ठू राम देवांगन निवासी-ग्राम व पोस्ट उतई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए.]

क्रमांक/3143/वाचक-1/2015.—यह कि श्री पन्नालाल यादव आ. अमर साय यादव निवासी गंगापुर कर्मचारी मोहल्ला अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23-11-2015 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं आर. एन. सिंह, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23-11-2015 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक लोक न्यास, गंगापुर कर्मचारी मोहल्ला, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

आर. एन. सिंह,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

खरसिया, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

प्रकरण क्र. /बी-113/2015-16
ग्राम खरसिया, प. ह. नं. 22

क्रमांक/81/प्रस्तु -1/2015.—एतद्द्वारा आम जनता नगर खरसिया प. ह. नं. 22 तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंथ श्री हजुर अर्द्धनाम साहेब, श्री कबीर धर्म स्थान भेख ट्रस्ट खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.) द्वारा श्री कबीर धर्म स्थान भेख ट्रस्ट खरसिया को लोक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है-

1. पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब आचार्य कबीर पंथ
2. श्री सुधादास शास्ती, धर्माधिकारी
3. महन्त श्री देवेन्द्र दास साहेब
4. महन्त श्री गुरूचरण दास साहेब
5. महन्त श्री रामेश्वरदास साहेब
6. महन्त श्री चरणदास साहेब
7. महन्त श्री जीवनदास साहेब
8. महन्त श्री उत्तमदास साहेब
9. भक्त श्री हनुमान प्रसाद
10. भक्त श्री कालूराम
11. श्री सुकृतदास साहेब
12. महन्त श्री प्रीतमदास साहेब
13. महन्त श्री खेमदास साहेब
14. महन्त श्री नरसिंहदास साहेब
15. संत श्री संतोषदास साहेब

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य धार्मिक होना तथा लोक न्यास के रूप में उपयोग कराना बताया गया है.

आवेदित धर्मादा ट्रस्ट का पंजीयन करने में जिस किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के साथ प्रकरण में नियत दिनांक 9-11-2015 को न्यायालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, ध्यान रहें नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 9-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से उद्घोषणा जारी किया गया.

बी. एस. मरकाम
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.